

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, सुलतानपुर।

प्रकीर्ण आदेश संख्या-109 / 2020

अपर मुख्य सचिव, गृह एवं गोपन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक-281 / 2020-सी0एक्स0-3-2020 दिनांकित 19.04.2020 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समस्त अधीनस्थ न्यायालयों को नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए समस्त अधीनस्थ न्यायालयों को भारत सरकार द्वारा दिनांक-03.05.2020 तक बढ़ाई गई लाकडाउन अवधि की समाप्ति के पश्चात खोले जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया है।

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांकित-24.04.2020 के परिप्रेक्ष्य में निर्गत पत्रांक पी0एस0 (आर0जी0)/47/2020 इलाहाबाद दिनांकित-24.04.2020 द्वारा समस्त अधीनस्थ न्यायालयों को दिनांक-03.05.2020 तक बन्द रखने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः जनपद न्यायालय सुलतानपुर के समस्त न्यायालय, बाहय न्यायालय कादीपुर एवं बाहय न्यायालय मुसाफिरखाना दिनांक-03.05.2020 तक बन्द रहेंगे।

सभी सम्बन्धित सूचित हों।

जनपद न्यायाधीश,
सुलतानपुर।
24.04.2020

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1- जिलाधिकारी, सुलतानपुर।
- 2- जिलाधिकारी अमेठी।
- 3- पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर।
- 4- पुलिस अधीक्षक अमेठी।
- 5- अधीक्षक जिला कारागार सुलतानपुर।
- 6- बार एसोसिएशन सुलतानपुर।
- 7- बार एसोसिएशन कादीपुर।
- 8- बार एसोसिएशन मुसाफिरखाना।
- 9- सिस्टम आफिसर, कम्प्यूटर सेन्टर को जनपद न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 10- जिला सूचना अधिकारी, सुलतानपुर को राष्ट्रीय एवं स्थानीय समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन कराने हेतु।

जनपद न्यायाधीश,
सुलतानपुर।
24.04.2020